न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 08/2022 धारा 90ए(9) भू–राजस्व अधिनियम
GCMS No. 2022/186

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री हरखचन्द्र डागा निवासी 191 देवगली गुडाई मौहल्ला शाहदरा दिल्ली।
2. केसरीचन्द डागा पुत्र श्री हरखचन्द्र डागा निवासी 33/1, तुषार अपार्टमेंट, राधेश्याम पार्क, सेक्टर नं. 5 साहिबाबाद गाजियाबाद (उ.प्र)
3. घनश्याम डागा पुत्र श्री हरखचन्द डागा निवासी 268, बीबीडी रोड़त्र उत्तारपुरा हुगली वेस्ट बंगाल।
4. गजानंद डागा पुत्र श्री हरखचन्द डागा निवासी 268, बीबीडी रोड़त्र उत्तारपुरा हुगली वेस्ट बंगाल।
5. शशी प्रभा सिंगी पुत्री श्री हरखचन्द्र डागा पत्नी श्याम सुन्दर सिंगी निवासी गगनदीप अपार्टमेंट 493 बी/21 जी टी रोड़ साउथ नियर बंगाल जूट मिल शोबिपुर डावड़ा वेस्ट बंगाल।
6. रमेश डागा पुत्र श्री सुन्दरलाल डागा जाति डागा निवासी 1/1967 सैकिण्ड फलोर गली नंबर 4, वेस्ट रोहिताश नगर शाहदरा दिल्ली।

समस्त जरिये मुख्तयार आम श्री सुनील कुमार डागा पुत्र श्री बाबूलाल डागा जाति डागा निवासी निवासी जैन दादाबाड़ी के पास, वार्ड नंबर 12 लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज)

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।
2. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर

—रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री नरसाराम जाखड़ – अभिभाषक अपीलांट
श्री वेणुराज गोपाल पुरोहित –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 2

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 10.04.2023

यह अपील राजस्थान राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए(9) के अन्तर्गत नगर विकास न्यास बीकानेर के निर्णय दिनांक 05.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि नत्थूसर के पुराने खसरा नंबर 80 मीन 61, 62, 65, 64, 84 मीन 65 मीन 66, 167 जिसके नये नंबर 60, 214/60, 222/181, 142, 144, 146, 149, 150, 151, 154, 158 तादादी रकबा 33.33 हैक्टयर कृषि भूमि पी.जी. डागा एण्ड कंपनी के नाम दर्ज थी। अपीलांट्स के श्वसुर एवं दादा स्वर्गीय गोपीलाल पुत्र पन्नालाल डागा के नाम से उपरोक्त कंपनी पी.जी. डागा एण्ड कंपनी संचालित थी। उपरोक्त कंपनी के संचालक गोपीलाल पुत्र पन्नालाल के स्वर्गवास के पश्चात उनके दो पुत्र हरखचन्द एवं सुन्दरलाल जायज वारिस हुए। हरखचन्द पुत्र गोपीलाल का स्वर्गवास 29.08.2002 हो गया। हरखचन्द्र पुत्र गोपीलाल की मृत्यु के पश्चात अपीलांट संख्या 1 ता 5 जायज वारिस है। सुन्दरलाल पुत्र गोपीलाल का स्वर्गवास 08.01.2018 हो गया। सुन्दरलाल पुत्र गोपीलाल की मृत्यु के पश्चात अपीलांट संख्या 6 एकमात्र जायज वारिस है। अपीलांट्स के द्वारा नगर विकास न्यास बीकानेर के समक्ष धारा 90ए का कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया फिर भी नगर विकास न्यास बीकानेर ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि रोही नत्थूसर के खसरा नंबर 36, 60, 214/60, एवं 222/181 के रकबा की 90ए की कार्यवाही सुओमोटो आदेश दिनांक 05.04.2013 को प्रदान कर दी। उक्त नगर विकास न्यास बीकानेर के सुओमोटो आदेश दिनांक 05.04.2013 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनीं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं बहस 96 सीपीसी प्रार्थना–पत्र एवं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सलंग्न शपथ–पत्र पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री नरसाराम जाखड़ एवं प्रहलाद जाखड़ ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट्स के द्वारा नगर विकास न्यास बीकानेर के समक्ष धारा 90ए का कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया फिर भी नगर विकास न्यास बीकानेर ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि रोही नत्थूसर के खसरा नंबर 36, 60, 214/60, एवं 222/181 के रकबा की 90ए की कार्यवाही का सुओमोटो आदेश दिया। 90ए की कार्यवाही खातेदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन के पश्चात ही की जा सकती है फिर भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खातेदार के अप्लाई किये बिना सूओमोटो 90ए का आदेश प्रदान नही किया जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि ''आवेदकों ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक, रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथ–पत्र, की–मेप, अभिन्यास योजना सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुंगंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।'' बहुत की हास्यास्पद है। क्योंकि अपीलांट्स एवं उनके पूर्वजों के द्वारा कभी भी यू.आई.टी के समक्ष अपनी कोई योजना का नक्शा पास करने हेतु प्रस्तुत नही किया और ना ही 90ए का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट्स एवं उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होते हुए भी उन्हें पक्षकार बनाये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास बीकानेर ने अपीलांट्स एवं उनके पूर्वजों की खातेदारी भूमि पर 90ए की सुओमोटो कार्यवाही का आदेश दिनांक 05.04.2013 प्रदान कर अपीलांट्स के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्राधीकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2013 को निरस्त फरमावें।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट श्री वेणूराज गोपाल पुरोहित ने बहस के दौरान कथन किया कि वर्ष 2012–13 में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अर्तगत के अधिसूचना जारी की गई थी कि किसी कृषि भूमि के पास आबादी बस चुकी है तो आबादी क्षेत्र के पास स्थित कृषि भूमि को नगर विकास न्यास अपनी स्वयं प्रेरणा से 90बी की कार्यवाही कर सकती है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 08/2022 धारा 90ए(9) भू–राजस्व अधिनियम
GCMS No. 2022/186

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री हरखचन्द्र डागा निवासी 191 देवगली गुडाई मौहल्ला शाहदरा दिल्ली।
2. केसरीचन्द डागा पुत्र श्री हरखचन्द्र डागा निवासी 33/1, तुषार अपार्टमेंट, राधेश्याम पार्क, सेक्टर नं. 5 साहिबाबाद गाजियाबाद (उ.प्र)
3. घनश्याम डागा पुत्र श्री हरखचन्द डागा निवासी 268, बीबीडी रोड़त्र उत्तारपुरा हुगली वेस्ट बंगाल।
4. गजानंद डागा पुत्र श्री हरखचन्द डागा निवासी 268, बीबीडी रोड़त्र उत्तारपुरा हुगली वेस्ट बंगाल।
5. शशी प्रभा सिंगी पुत्री श्री हरखचन्द्र डागा पत्नी श्याम सुन्दर सिंगी निवासी गगनदीप अपार्टमेंट 493 बी/21 जी टी रोड़ साउथ नियर बंगाल जूट मिल शोबिपुर डावड़ा वेस्ट बंगाल।
6. रमेश डागा पुत्र श्री सुन्दरलाल डागा जाति डागा निवासी 1/1967 सैकिण्ड़ फलोर गली नंबर 4, वेस्ट रोहिताश नगर शाहदरा दिल्ली।

समस्त जरिये मुख्तयार आम श्री सुनील कुमार डागा पुत्र श्री बाबूलाल डागा जाति डागा निवासी निवासी जैन दादाबाड़ी के पास, वार्ड नंबर 12 लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज)

प्रमाणित

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।
2. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर

—रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री नरसाराम जाखड़ – अभिभाषक अपीलांट
श्री वेणुराज गोपाल पुरोहित –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 2

संभागीय आयुक्त
बीकानेर